कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 3592 /11–सी–FP/UP/Water/119894/2021, लखनऊ, दिनांकः जून 16 ,2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मिर्जापुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग–उत्तर प्रदेश) द्वारा पटवध ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम–कनछ में प्रस्तावित WTP पाइप लाइन एवं जैकवेल निर्माण में प्रभावित 6.4325 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/08/263/2021/एफ0सी0/40, दिनांक 19.04.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर के पत्रांक–2385/26–11, दिनांक 15.06.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 3592 /11–सी–FP/UP/Water/119894/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मिर्जापुर।
3. तकनीकी सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 राणा प्रताप मार्ग, यू0पी0 जल निगम, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/C

Acy-681